न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 61/2019

1. कमला पुत्री भागीरथ स्त्री रामलाल जाति जाट निवासी बडवासी तहसील नवलगढ हाल नितडा की ढाणी तन भोडकी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
2. सुभिता पुत्र भागीरथ स्त्री सुभाष जाति जाट निवासी बडवासी तहसील नवलगढ हाल ग्राम दुडिया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

—आवेदकगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र छाजू
2. शिशराम
3. रणजीत पुत्रान श्योनाथ
4. बरजीदेवी पत्नी श्योनाथ
5. अजय चौधरी पुत्र जगमाल
6. गारादेवी पत्नी जगमाल
7. पंकज पुत्र जगमाल
8. दिनेश पुत्र मूलचन्द
9. मुकेश पुत्र मूलचन्द
10. संजय पुत्र कुम्भाराम
11. रामकरण पुत्र हरूराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

एडवोकेट आवेदकगण :— श्री चन्द्रकांत शर्मा
एडवोकेट अनावेदकगणः— श्री विद्याधरसिंह जाखड

आदेश

दिनांक 19.08.2019

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बडवासी की तन में भूमि ख.न. 114 रकबा 0.78 है0 स्थित है। इस भूमि के पुराने ख.न. 299 थे उससे पूर्व इस भूमि के ख.न. 168मी थे जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वंशावली के अनुसार छाजू के दो पुत्र भागीरथ श्योनाथ हुये भागीरथ के दो कमला व सुभिता आवेदिकागण है तथा फौत श्योनाथ के बरजी शिशराम रणजीत हुये। विवादित भूमि में 1/12 हिस्सा आवेदिका नं. 1 का 1/12 हिस्सा अनावेदिका नं. 2 का, 1/12 हिस्सा अनावेदक नं. 1 का, 1/4 हिस्सा अनावेदक नं. 2 लगायत 4 का, 1/8 हिस्सा अनावेदक नं. 5 लगायत 7 का, 1/8 हिस्सा अनावेदक नं. 8 व 9 का है तथा 1/8 हिस्सा अनावेदक नं. 10 व 11 कास व 1/8 हिस्सा अनोवदक नं. 12 का है उसी अनुसार काश्त व कब्जा है।

विवादित भूमि आवेदिकागण व अनावेदक नं. 1 लगायत 4 की पैत्रिक सम्पति है जिसमें हिन्दू विधि के अनुसार आवेदिकागण का हक व हिस्सा निहित है विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि का रिकार्ड पहले छाजूराम के नाम से था। उनकी मृत्यु के पश्चात 1/2 हिस्से भूमि का का रिकार्ड भागीरथ व श्योनाथ के नाम से चला आ रहा है इस प्रकार आवेदिकागण की उक्त भूमि पैत्रिक होने से उनका हित निहित है जिसमें आवेदिका नं. 1 का 1/12 हिस्सा व अनावेदक नं. 2 का 1/12 हिस्सा है। उसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड 1/4 हिस्से की भूमि का अकेले अनावेदक नं. 1 के नाम से दर्ज है परन्तु पैत्रिक भूमि होने से आवेदिकागण का भी हक व हिस्सा है। विवादित भूमि में आवेदिका नं. 1 व 2 का 1/12, 1/12 हिस्से की खातेदार काश्तकार हैं काबिज हैं इसलिये आवेदिकागण को विवादित भूमि के 1/12, 1/12 हिससे की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे ऐसी हालत में आवेदिकागण के लिये दावाबाबत घोषणार्थ का पेश करना आवश्यक हुआ।

विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से की भूमि अनावेदक नं. 1 के नाम दर्ज है जबकि भूमि पैत्रिक है। अनावेदक नं. 1 का 1/12 हिस्सा ही है तथा 1/12, 1/12 हिस्सा आवेदिकागण का है। इस गलत राजस्व रिकार्ड की आड में अनावेदक नं. 1 ने अनावेदक नं. 9 के हक में दिनांक 24.06.2019 को एक विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया जो विधि विरूद्ध है अनावेदक नं. 1 का जब इस भूमि में 1/4 हिस्सा था ही नही तो उसे विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही था इसलिये उक्त विक्रय पत्र आवेदिकगण के अधिकारो के खिलाफ शून्य व बेअसर है तथा अनावेदक नं. 1 मानसिक रूप से सही नही है उसकी सोचने समझने की शक्ति भी नही है वह मानसिक रूप से पागल है इसलिये उसकी इस नाजायज स्थिति का फायदा उठाकर अनावेदक नं. 9 ने गलत रूप से विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया और ना ही कब्जे का आदान प्रदान हुआ इसलिये भी उक्त विक्रय पत्र शून्य व बेअसर है परन्तु अनावेदक नं. 9 इस शून्य व बेअसर विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का नामान्तरणकरण करवाकर आवेदिकागण को बेदखल कर भूमि को खुर्द बुर्द कर विक्रय कर हस्तानान्तरण करने को आमादा है जबकि मौके पर आवेदिकागण का काश्त व कब्जा है अनावेदक नं. 9 का कोई कब्जा मौके पर नही हैं । अगर अनावेदक नं. 9 इस शून्य व बेअसर विक्रय पत्र की आड में नामा0 करवाकर आवेदिकागण को बेदखल कर भूमि को खुर्द बुर्द कर देगा तो आवेदिकागण को अपार क्षति होगी जिसका खमियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा। इसलिये अनावेदक नं. 1 व 9 को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि इस गलत व शून्य बेअसर विक्रय पत्र की आड में नामा0 तस्दीक नही करवाये भूमि को खुर्द बुर्द नही करे हस्तानान्तरण आदि नही करे ऐसी हालत में आवेदिकागण के लिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदक नं. 1 व 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि गाम बडवासी में स्थित भूमि ख.न. 114 रकबा 0.78 है0 भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड की आड में शून्य व बेअसर विक्रय पत्र की आड में नामा0 तस्दीक नही करवाये आवेदिकागण को जबरन बेदखल नही करे गलत राजस्व रिकार्ड की आड मे भूमि को ट्रांसफर नही करे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका की जाकर तलबी अनावेदकगण की गई अनावेदकगण नं. 1 लगायत 8 व 12 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 9 की और से वकील श्री विद्याधरसिंह जाखड का वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अनावेदक नं. 10 से कोई सहायता नही चाहने पर नाम हजफ किया गया। अनावेदक नं. 9 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि वादी/ प्रार्थी का दावा बेहद कमजोर व न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर का है। इस कारण प्रथम दृष्टया न्यायालय को वाद सुनने का हक अधिकार नही है। प्रथम तो कर्ता के खिलाफ स्थगन के लिये किसी प्रकार का वाद पेश नही किया जा सकता है द्वितीय कर्ता ने अपनी जायज आवश्यकता के लिये भूमि का विक्रय किया है या नही किया है इस विषय में जांच करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नही है। जब सन 1988 में छाजूराम का देहान्त हो गया तब अं.धारा 6 हिन्दू उतराधिकार अधि0 के तहत सम्पति मे अधिकार प्राप्त हो गये बिना मालिक के सम्पति एक क्षण भी नही रहती है सन 1988 में वादीगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नही हुये थे इस प्रकार प्रथम दृष्टया खारीज होने लायक है। खाता सं0 338 के ख.न. 53, 54, 55, 56 कुल रकबा 3.07 है0 दुसरा खाता 488 ख.न. 247/3.43 है जिसमे आधा हिस्सा उतरदाता भागीरथ का था उस सम्बन्ध के बारे में प्रार्थीगण ने कुछ भी दर्ज नही किया है। प्रार्थीगण को पुरी होल्डिंग के बारे में पूरी स्थिति का वर्णन करना चाहिये था। वादिनी सुभिता की शादी 1995 मे की थी आय का साधन नही था सुभिता की शादी मे खर्च काफी हो गया था इसलिये सुभिता व सुभाषचन्द्र ने खाता सं0 488 ख.न. 247/3.43 है0 का आधा हिस्सा भागीरथ का दिनांक 07.06.1996 को श्योनाथ के भाई के पुत्र शीशराम को विक्रय करवाया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

था इससे जो आमद हुई वह सुभिता की शादी की मांगत चुकाने मे और शेष बचे रूपये सुभिता के पति ने ले लिये थै। उसके बाद भगीरथ की पुत्री कमला के पुत्रों की शादी व भात आदि में खर्चा आ गया जिसमें कमला के पुत्र दिनेश की शादी की उसमें भात भरना पडा आदि में काफी खर्चा आ गया।

दिनांक 09.09.2005 से पूर्व लडकिया कोपार्सनर नही होती थी न ही वह विभाजन का वाद कर सकती थी ना ही उनका हिस्सा होता था सिर्फ पुत्रो का ही हिस्सा होता था। दिनांक 09.09.2005 से पूर्व जब पिता फौत होता था तब उसके हिस्से की अगर वह कोई हिस्सा छोडता था तो सेक्शन 8 के अंतर्गत पुत्रियों को उतराधिकार प्राप्त होता था। जब 1988 को प्रतिवादी नं. 1 का पिता खत्म हुआ तो उक्त भूमि का भागीरथ पूर्ण खातेदार व मालिक बन गया पूरी भूमि ही उसके खतोदारी हक अधिकार की थी। प्रार्थीगण को कोई वादकारण पैदा नही हुआ क्योंकि विधि अनुसार उनका सन 1988 मे जब छाजूराम फौत हुआ तब कोई हक अधिकार नही था पुरे हक अधिकार खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 भागीरथ को प्राप्त हुई। दिनांक 24.06.2019 को विक्रय पत्र तस्दीक हुआ इन्तकाल की कार्यवाही फिसिकल कार्यवाही होती है उसे नही रोका जा सकता यह विधिक व राजस्व प्रकिया है जो लगान अदा करने के लिये किया जाना आवश्यक है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है। उतरदाता अपनी क्रय की हुई भूमि को विक्रय नही करना चाहता है इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है। विक्रय करने के तथ्य गलत दर्ज किये हैं और मौके पर कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

जबाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दोरान वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। वकील अप्रार्थी द्वारा नजीर के रूप में आरआरडी जून 2002 पेज नं. 282, 283, एआईआर 1997 पेज नं. 205, पेज नं. 208 रिविजन सं0 58/बाडमेर 94 तुलशा व अन्य बनाम प्रतापसिंह व अन्य निर्णय दिनांक 13 फरवरी 1997पेश किये गये। वकल प्रार्थी ने आरआरडी 14.02.2014 पेज नं. 74, आरएलडब्लू 2010(1)आरजे पेज 313, (2013) 7 एडी (एससी) 611, (1967) एआईआर (एससी) 1153, (2009)एआईआर (एससीडब्लू) 968, आरआरटी 2016(2) पेज 1309, पेश की। प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। अतः बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— नकल जमाबंदी ग्राम बडवासी संवत 2030 से 2033 के अनुसार भूमि ख.न. 168/1 आवेदिका के दादा श्री छाजूराम पुत्र गंगाराम के नाम भी दर्ज थी। जमाबंदी ग्राम बडवासी संवत 2043 अनुसार ख.न. 299 श्री छाजूराम के नाम दर्ज थी, इसी जमाबंदी में अंकित नोट अनुसार नामा0सं0 95 छाजूराम की बजाय शिवनाथ भागीरथ पुत्र छोटूराम, छोटी बेवाह छाजूराम के नाम दर्ज हुई थी। मिलान क्षैत्रफल ग्राम बडवासी के अनुसार पुराना ख.न. 168 मी से नया ख.न. 299 बना है तथा पुराना ख.न. 299 के नये ख.न. 114 बना है। अतः प्रथम दृष्टया भूमि पैत्रिक प्रतीत होती है। वकील अप्रार्थी ने जबाब व बहस में छाजूराम की मृत्यु 1988 में होने से अप्रार्थी सं0 1 को अधिकार प्राप्त होने, सम्पूर्ण भूमि संबंधी तथ्य नही लिखने, दोनो आवेदिका की शादी व भात में खर्च करने, सिविल न्यायालय को अधिकार होने, दिनांक 06.07.1994 को पिता के पक्ष में इकरारनामा तस्दीक व कब्जा होने, दिनांक 09.09.2005 से पूर्व लडकियां कोपार्सनर नही होने, इन्तकाल की कार्यवाही फिसिकल होने से नही रोके जाने संबंधी आपति की है। उक्त सभी आपतियां वादपत्र में तनकी विरचित होकर दोनो पक्षों के साक्ष्य से तय होनी है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी जून 2002 पेज 282, व रिविज सं0 58/बाडमेर 94 नानान्तरकरएण अपील से संबंधित है तथा एआईआर 1997 पेज 205 स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट की धारा 38 व 41 से संबंधित है। अतः उक्त तीनों न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में अक्षरशः चस्पा नही होती है। भूमि प्रथम दृष्टया पैत्रिक प्रतीत होने तथा प्रथम दृष्टया पैत्रिक भूमि में पुत्रियों का भी हक अधिकार होता है, अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
बवलगढ

2. सुविधा का संतुलनः– प्रश्नगत भूमि प्रथम दृष्टया पैत्रिक है तथा पैत्रिक भूमि में पुत्री का प्रथम दृष्टया अधिकार होता है। आवेदिका अनावेदक सं0 1 की पुत्रियां होने के संबंध में कोई विवाद नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।
3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्तः– प्रार्थिया अनावेदक सं0 1 की पुत्रियां होने के संबंध में विवाद नही होने व भूमि पैत्रिक होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष्ज्ञ में तय किया जाता है।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। नर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-8-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर